



- समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

विविध / 2015

विविध 2482-I-15

50

श्रीमती चन्दमाला पत्नी श्री डालचंद जैन
निवासी ग्राम लवकुश नगर (लोढी) जिला
छतरपुर म0प्र0

.....आवेदक

विरुद्ध

रामनिवास त्रिपाठी, तहसीलदार लवकुशनगर जिला
छतरपुर म.प्र.।

.....अनावेदक

अवमानना अधिनियम की धारा -10 के अंतर्गत आवेदन पत्र

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से अवमानना आवेदन पत्र सविनय निम्न प्रकार है :-

1. यह कि , आवेदक द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण क 15/अ-20/2011-12 तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म.प्र. के विचाराधीन प्रकरण के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष निगरानी 2178/1/2015 छतरपुर दिनांक 13.7.15 को प्रस्तुत की गई जिस निगरानी को श्रीमान द्वारा 20.7.15 को प्रकरण ग्रह किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलव किया एवं अनावेदक को सूचना जारी की गई जिसमें पेशी दिनांक 20.10.15 नियत की गई थी ।
2. यहकि, आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश पालन मे हमदस्त तामील रिकार्ड हेतु रिकार्ड की पर्ची लेकर अधिनस्थ न्यायालय के कार्यालय मे प्रस्तुत कर दी गई एवं प्राप्ती भी ले लीगई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर मे भेजने का निवेदन किया एवं प्रकरण मे सुनवाई न करने का निवेदन किया परन्तु तहसीलदार महोदय के समक्ष वरिष्ठ न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन होने एवं रिकार्ड भिजवाने का आदेश लेटर होने के वावजूद भी वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का उल्लघन करते हुये एवं अनावेदक को लाभ पहुंचाते हुये काफी जल्द वाजी मे आदेश 27.7.2015 पारित कर दिया जिससे आवेदक न्याय से वचित हो गया एवं वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का उल्लघन एवं अवमानना की गई ।
3. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय को भली भाती जानकारी होने के वावजूद भी कि प्रकरण वरिष्ठ न्यायालय ने ग्रहण कर लिया है रिकार्ड तलव

ell
3/10/15

M

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक	विधि	अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ	जिला -छतरपुर
स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर	
11.9.15	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री के०के० द्विवेदी उपस्थित । उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने अपने तर्क प्रस्तुत किये गए ।</p> <p>2- आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अवमानना अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत आवेदन विविध प्रस्तुत की है । उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने संयुक्त रूप से दोनों प्रकरणों में तर्क प्रस्तुत किये है । अतः दोनों प्रकरणों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है ।</p> <p>3- आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया है कि राजस्व मण्डल में इन्ही बाद बिन्दुओं पर दो अन्य निगरानियां भी संचालित हैं जो निगरानी 2178-एक/15 एवं 2177-एक/15 दर्ज हैं, जिनमें तहसीलदार का अभिलेख बुलाया गया था । तहसीलदार को अभिलेख भेजने हेतु नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अभिलेख न भेजा गया बल्कि प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया, जिससे राजस्व मण्डल न्यायालय की अवमानना हुई है ।</p> <p>4- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि तहसीलदार को रिकार्ड भेजने हेतु नोटिस दिनांक 27.7.15 को शाम 3 बजे प्राप्त हुआ था जबकि वह उसी दिनांक 27.7.15 को दोपहर 12 बजे अपना आदेश पारित किया जा चुका था । वर्तमान में तहसील का रिकार्ड राजस्व मण्डल में निगरानी 2177-दो/15 एवं निगरानी 2178-दो/15 में संलग्न किया जा चुका है ।</p> <p>5-आवेदक अधिवक्ता ने प्रति उत्तर में कहाकि तहसीलदार ने राजस्व मण्डल की अवमानना न सिर्फ रिकार्ड के आदेश के</p>		

पूर्व न भेजते हुये की है, बल्कि राजस्व अभिलेखों में अपने आधार पर अनावेदक का नाम दर्ज कर दोहरी त्रुटि की है, जबकि राजस्व मण्डल में निगरानियां संचालित थी। इसके लिये उन्होंने कम्प्यूटराइज्ड खसरे की प्रति का अवलोकन भी कराया।

6- मेरे द्वारा प्रकरण में परीक्षण एवं विचार उपरांत यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि चूंकि तहसीलदार ने जब अपना निर्णय पारित किया तब उस निर्णय ^{को पारित करने के लिये} के उपरांत उसके क्रियान्वयन पर किसी प्रकार कौं कोई स्थगन राजस्व मण्डल द्वारा जारी नहीं किया गया था अतः तहसीलदार द्वारा अपना निर्णय पारित करने में अथवा उसके क्रियान्वयन हेतु, खसरा प्रविष्टियां कराने में कोई कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि यह दोनों विविध अवमानना इसी स्तर पर ब्रगैर कोई कार्यवाही के समाप्त ~~करे जाते~~ की जाएं। प्रकरण दायित्व दर्ज है।

सदस्य